सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं. NCST/DEV-5878/MP/821/2025-RO-BH/RU-I **दिनांक: 09.07.2026**

प्रमुख सचिव,
मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग,
मध्य प्रदेश शासन
वल्लभ भवन, मंत्रालय,
भोपाल, मध्य प्रदेश-462004
ई-मेल: psfisheries@mp.gov.in

निदेशक,
मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग,
मध्य प्रदेश शासन,
निदेशालय मत्स्य फिश फार्म, भदभदा रोड,
भोपाल, मध्य प्रदेश-462003,
ई-मेल: dirfish@mp.nic.in

प्रबंध निदेशक
मत्स्य महासंघ,
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग,
संचालनालय मत्स्योद्योग,
मत्स्य प्रक्षेत्र, भदभदा रोड,
भोपाल, मध्य प्रदेश-462003

विषय: दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक आष्टा में शारिक मछली जैसा कांड, फर्जी मत्स्य समिति बनाकर छीना गया मछुआरों का वंशानुगत हक के संबंध में ।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 15.05.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लेखित प्रकरण का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 22.07.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परीक्षण के लिए अपनी उपस्थित सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director